आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी
मण्डल :वाराणसी,जनपद :जौनपुर,तहसील :मछली शहर
वाद संख्या :-3844/2022
कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :-T202214360303844
अजीताशर्मा बनाम सरकार
अंतर्गत धारा:- 80, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

निर्णय

मैने वादिनी के विद्वान अधिवक्ता के विद्वतापूर्ण तर्कों पर विचार किया तथा पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों का विधिवत अनुशीलन किया। संक्षिप्त में विवाद का स्वरूप इस प्रकार है कि प्रस्तुत वाद वादिनी द्वारा गाटा संख्या 31/0.950 हे0 स्थित ग्राम आलमपुर, परगना गड़वारा, तहसील मछलीशहर, जिला जौनपुर को अकृषिक घोषित किये जाने हेतु धारा 80 उ0प्र0रा0सं0 2006 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया है। प्रकरण में तहसीलदार से नियमानुसार आख्या आहूत किया गया, जो प्राप्त होकर संलग्न पत्रावली है।

तहसीलदार की आख्या दिनांक 28.06.2022 में स्पष्ट किया गया है कि वादिनी द्वारा ग्राम आलमपुर, परगना गड़वारा, तहसील मछलीशहर की गाटा संख्या 31/0.950 हे0 वाणिज्यिक/अकृषिक घोषित किया जाना प्रस्तावित है। विवादित गाटा में स्कूल प्रस्तावित है जो निर्माणाधीन है। तहसीलदार ने अपनी आख्या दिनांक 28.06.2022 द्वारा प्रश्नगत क्षेत्रफल को अकृषिक घोषित किये जाने की संस्तुति सहित आख्या प्रेषित किया है। इस आराजी में कोई सहखातेदार नहीं है।

पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा प्रश्नगत क्षेत्रफल को वाणिज्यिक/अकृषिक घोषणा करने की संस्तुति की गयी है। आख्या में यह भी स्पष्ट किया गया है कि गाटा 31/0.950 हे0 पर स्कूल प्रस्तावित है जो निर्माणाधीन है, जो वाणिज्यिक/अकृषिक कार्य में प्रयुक्त है। वादिनी द्वारा विवादित क्षेत्रफल के मूल्यांकन रु0 3300000.00 का एक 1 प्रतिशत रु0 33000.00 का न्यायशुल्क के रूप में न्यायिक स्टाम्प दाखिल किया गया है तथा तथा 1 प्रतिशत रु0 33000.00 उद्घोषणा शुल्क के रूप में निर्धारित लेखा शीर्षक में ट्रेजरी चालान जमा किया गया है, जिसका ट्रेजरी चालान संख्या (जी.के.00004) है। नजरी नक्शा, स्थल फोटो आदि प्रपत्र भी पत्रावली में दाखिल है। इस प्रकार पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों से सिद्ध होता है कि विवादित गाटा वाणिज्यिक/अकृषिक प्रयोजन में प्रयुक्त है। वादी द्वारा निर्धारित शुल्क जमा/दाखिल किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में तहसीलदार की आख्यानुसार विवादित गाटा का अकृषिक प्रयोजन घोषित करते हुए लगान मुताबिक परता निरस्त किया जाना न्यायोचित है।

आदेश

अतः उपर्युक्त विस्तृत विवेचना के आधार पर आराजी संख्या 31/0.950 हे0 स्थित ग्राम आलमपुर, परगना गड़वारा में स्कूल प्रस्तावित है जो निर्माणाधीन होने के कारण कृषि से भिन्न प्रयोजन में प्रयुक्त अकृषिक घोषित किया जाता है। मुताबिक परता लगान निरस्त हो। विवादित गाटा के भौमिक स्थिति के सम्बंध में इसके विपरीत कोई अन्य तथ्य प्रकाश में आने पर यह आदेश स्वतः निरस्त माना जायेगा। यदि वादी इस उद्घोषणा के दिनांक से पांच वर्ष की अवधि के भीतर गैर कृषि सम्बन्धी गतिविधि प्रारम्भ करने में विफल रहता है तो उपधारा (2) के अधीन घोषणा व्यपगत हो जायेगी। आदेश की अभिप्रमाणित प्रतिलिपि तहसीलदार/उपनिबंधक मछलीशहर को आवश्यक कार्यवाही/अभिलेखों में प्रख्यापन हेतु प्रेषित की जाय। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

482
4-8-22
7-0V
4-8-22
4-8-22

9.07.2022

(ज्योति सिंह)
उपजिलाधिकारी
मछलीशहर, जौनपुर।